प्रेषक,

संo– 1500 / II–2016–03(17)/2012टीसी

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक, 11 जुलाई, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में जल संवर्द्धन एवं संरक्षण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं पर वित्तीय वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1394/प्र0अ0/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संवर्द्धन एवं संरक्षण मद के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 2140/II–2015–03(17)/2012टीसी, दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 द्वारा स्वीकृत जनपद अल्मोड़ा के वि0ख भिकियासैंण के गधेरों में वियर निर्माण की योजनाओं पर अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यो हेतु रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	जनपद/योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत	वर्ष 2016–17 तक अवमुक्त/व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
	जनपद अल्मोड़ा				
1	जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिकियासैंण में मोहनारी गधेरे में वियर (टैंक) का निर्माण कार्य	104.04	30.38	73.66	25.00
2	जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिकियासैंण में सौगढ़ गधेरे में वियर का निर्माण कार्य	206.88	90.33	116.55	25.00
				योग	50.00

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

...2

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2018 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के कियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(viii) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य व्यय–051–निर्माण–02– जल संवर्धन एंव जल संरक्षण के लिये जलाशयों एंव कन्टूर ट्रैंच आदि का निर्माण (4701–80–800–03 से स्थानान्तरित) –24 वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1500 (1)/ / ।।–2017–03(17)/2012टीसीतददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
12. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव